<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>29/08/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने 27/08/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता और आसपास के इलाकों में धोखाधड़ी करने वाले कॉल सेंटर संचालकों से जुड़े 10 अलग-अलग आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी मेसर्स ई-यूनाइट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य से जुड़े धन शोधन मामले की चल रही जांच के सिलसिले में की गई।

ईडी ने भारत और विदेशों में निर्दोष लोगों को ठगने की साजिश रचने के आरोप में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन, बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट, पश्चिम बंगाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। राकेश चौधरी, कुणाल गुप्ता और कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जो अवैध कॉल सेंटर चलाने में शामिल थे, जो प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों का रूप धारण करके और तकनीकी सहायता, वेबसाइट बिक्री और ऋण प्रस्ताव जैसी गैर-मौजूद सेवाओं की पेशकश करके विदेशी नागरिकों को धोखा देते थे।

तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न परिसरों से 22.5 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। इसके अतिरिक्त, डिजिटल रिकॉर्ड और भौतिक दस्तावेजों सहित पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए। सबूत कुणाल गुप्ता और राकेश चौधरी के नेतृत्व में एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करते हैं, जिसमें उन्होंने बिना लाइसेंस वाले कॉल सेंटर ऑपरेटरों को कार्यालय की जगहें किराए पर दीं, जिन्होंने बदले में विदेशी ग्राहकों को ठगा और विभिन्न भुगतान गेटवे के माध्यम से अपराध की आय को लूट लिया।

चल रही जांच में अब तक कुणाल गुप्ता और राकेश चौधरी की गिरफ्तारी हुई है (सीबीआई) कोर्ट नंबर 1, बिचार भवन, कोलकाता में राकेश चौधरी, कुणाल गुप्ता और अन्य संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

आगे की जांच हो रही है।